SHRI S. MUTHU MANI: Sir, it is not relevant... (Interruptions)

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Sir, allow her to put her question ... (Interruptions)

SHRI G. SWAMINATHAN: She cannot jump into any issue...

MR. CHAIRMAN: Let me hear the question... (Interruptions) Let me hear the question... (Interruptioss)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: It is a question relating to Civil Aviation. Sir, all the passengers waiting at the Madras airport... (Interruptions) I did not know that "Tamil Nadu Chief Minister" is an unparliamentary word. I am saying that the private airlines... (Interruptions)

SHRI G. SWAMINATHAN: The flight was not arranged by the Tamil Nadu Chief Minister suddenly. It was a flight arranged for her about three weeks back. Unnecessarily stories are being circulated as if it was done immediately. It was not so.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, the passengers at the Madurai and Madras airports were starnded because suddenly the VIP chartered a private aircraft. Newspapers have written editorials about it. The passengers have said tales of how much they had to suffer because the airline cancelled its flight in the last minute without any notice to them. Not only that, a Union Minister was seriously insulted on that flight by the Chief Minister... (Interruptions)

SHRI G. SWAMINATHAN: Sir, you please give me time...

MR. CHAIRMAN: You put your question on the subject, Mrs. Natarajan.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: All right, Sir. I will only put my question. My question is: When the private airlines allow their flights to be chartered by the VIPs at the State-level suddenly, what guidelines will be laid down by the Minister to protect the passengers who have already booked their tickets so that they are not put to undue hardships? What are the rules and regulations in this regard?

MR. CHAIRMAN: I think it is outside the purview of the question. The Minister need not answer... (Interruptions) It does not relate to the question... (Interruptions)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, it is a question of VIP flights.

MR. CHAIRMAN: Will you please sit down? (Interruptions)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, I would like to convince you. If you don't allow me, then I will sit down.

MR. CHAIRMAN: There is nothing to convince. It is not a relevant question... (Interruptions) It is not relevant to this question.

Now, let us talk about the commonman and not VIPs. I move on to the next question. Question No. 22.

*22. (*The Questioner (Shri Dilip Singh Judev) was absent.* For answer vide column infra).

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 23.

**गुजरात के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सड़क निर्माण संबंधी परियोजनायें**

*23. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अब तक "जवाहर रोजगार योजना" के अन्तर्गत निर्माण की गई सड़कों की कुल लम्बाई कितनी है और इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) क्या सरकार गुजरात के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सड़क निर्माण संबंधी परियोजनाएं शुरू करने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का विचार रखती है और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) गुजरात में जवाहर रोजगार योजना के प्रारम्भ से लेकर 1993-94 तक योजना के अन्तर्गत 13288.65 लाख रूपए के खर्च से 20722.19 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Mr Chairman, for my supplementary, should I press the request button' or raise my hand?... (Interruptions)... Sir, I was asking whether I should press the 'request button' or raise my hand.

MR. CHAIRMAN: You can do both ...(*Interruptions*)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (DEPTT. OF TOURISM) (SHRIMATI SUKHBANS KAUR): Sir, for parts (a) and (b), yes, Sir. For parts (c); (d) and (e); the answer is that both these airports will continue... (*Interruptions*)...

SOME HON. MEMBERS: Mr. Chairman, what is the answer she is giving?

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, she is answering Question No. 22. She has got nothing to do with Question No. 23.

MR. CHAIRMAN: Shrimati Kaur, the person who put Question No. 22 is absent.

**श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : सभापति जी, ग्रामीण विकास से संबंधित जो ये जे.आर.वाई. चल रही है और उसमें ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए भी यह योजना आगे चल रही है, उसमें भी एस.सी., एस.टी. और पार्टिकुलरली तीस प्रतिशत महिलाओं को रोजगार देने की उसमें कुछ भावनाएं रही है जो गुजरात में माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 20,722 किलोमीटर की सड़कें बनीं। तो मैं सभापति जी, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इसमें कितने एस.सी., एस.टी. लोगों को और महिलाओं को कितने दिन के लिए रोजगारी आपने दी है?

**श्री रामेश्वर ठाकुर** : मूल प्रश्न आपका यह है कि गुजरात में कितनी सड़कें जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बनाई गई? कितने किलोमीटर, कितनी राशि, आपने यह भी पूछा है कि विश्व बैंक के अन्तर्गत कोई योजना ग्रामीण क्षेत्र में जो लायी जा रही है, आपने पूरक प्रश्न पूछा है, उसके संबंध में बताना यह है कि जवाहर रोजगार योजना जो 1989 से प्रारम्भ थी, उस समय जो हमारी दो योजनाएँ थी, उनको दोनों को मिला करके एन.आर.ई. पी. और आर.एल.ई.जी.पी. को मिलाकर शुरू हुई। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले लोग हैं, उनके विकास के लिए उनको रोजगार प्रावधान करने के लिए यह योजना बनाई गई है और साथ ही साथ योजना का पूरक पक्ष यह है कि हम अस्थायी तौर पर ऐसे ऐसेस्ट, ऐसी आधारभूत सुविधायें बनाएं, जिससे लोगों को सुविधा हो और साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि इन दोनों के होने से जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनका जीवन-स्तर ऊंचा उठ सके। इस कार्यक्रम में जो हमारे आदिवासी, हरिजन लोग हैं उनको प्रथम स्थान दिया जाता है और महिलाओं के लिए जसा आपने जिक्र किया, तीस प्रतिशत लोगों को स्थान दिया जाता है, काम में भागीदारी के लिए और यह भागीदारी का जो प्रश्न है यह अच्छी तरह से हमारे सभी राज्यों में चल रहा है और इस वक्त जवाहर रोजगार योजना की राशि जिस समय से आपने पूछा है, उसके अन्तर्गत 9185 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया और 2594 मिलियन डेज यहां हमारे लोगों को काम प्रावधान किया गया है ।

और इसमें गुजरात राज्य में लोगों को उसी अनुपात से दिया गया है, लेकिन जो अलग-अलग आंकड़े है, वह मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा ।

**श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं। मेरा सवाल बहुत सीधा है कि आपने जो राशि खर्च की है और जितनी सड़कें बनायीं हैं और जवाहर रोजगार योजना का जो मूल उद्देश्य है कि महिलाओं और ग्रामीण लोगों को रोजगार मिले, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को गुजरात में इस राशि के अन्तर्गत आपने रोजगार दिया और कितने दिन तक दिया ?

**श्री रामेश्वर ठाकुर** : जहां तक सड़क का सवाल है।... (**व्यवधान**)

**श्री दिग्विजय सिंह** : महिलाओं का सवाल है, सड़क का नहीं।... (**व्यवधान**)

**श्री रामेश्वर ठाकुर** : रोजगार उन लोगों को देते हैं,... (**व्यवधान**)... राशि का प्रावधान दो तरह से होता है । जवाहर रोजगार योजना में जितनी राशि जिले को दी गयी, उसमें 80 प्रतिशत ग्रामीण पंचायत को देते हैं जहां पर इस राशि को विभिन्न मदों में खर्च किया जाता है जिसमें से एक मद सड़क बनाने का भी है ।

**श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : सभापति जी, यह और ही कुछ जवाब दे रहे हैं । जवाहर रोजगार योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को रोजगार देना है । तो आपने कितने लोगों को रोजगार दिवा, वह बताइए ।

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Sir, I have given the aggregate figures for the period. Now, he wants the break-up of these...

...(*Interruptions*)...

**श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** :: जवाहर रोजगार योजना का जो मूल उद्देश्य है, वही पूछ रहा हूं। मैं कोई ब्रेक-अप नहीं पूछ रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सवाल है ।

**श्री रामेश्वर ठाकुर** : आपने उस प्रश्न को रोड बनाने के साथ जोड़ा है। उसके अलग आंकड़े नहीं हैं लेकिन मैं आपको कुल आंकड़े बता रहा हूं। अलग-अलग सालों में जितने लोगों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार दिया गया है उसमें जिन सालों का आपने पूछा है, उसके आंकड़े मेरे पास है, लेकिन उससे पूर्व एक बात मैं बताना चाहता हूं कि सड़क बनाने का काम दो भागों में है। एक भाग तो वह है कि 80 प्रतिशत राशि जो हम गांवों में देते हैं, पंचायत यह तय करती है कि उस राशि में से कितनी राशि सड़क बनाने में, कुंए बनाने में, सिंचाई में, स्कूल या भवन निर्माण में खर्च करनी है। यह सब पंचायत तय करती है। 20 परसेंट जो डी.आर.डी.ए. को जिला स्तर पर जो राशि रहती है, उसमें यह दिया गया है कि वह राशि, सड़क के दो प्रखंडों को जोड़ती है, दो पंचायतों को जोड़ती है, उसमें खर्च होता है और डी.आर.डी.ए. द्वारा जो तय किया जाता है, उसके मुताबिक यह खर्च होती है ।

**श्री चतुरानन मिश्र** : आप चिट देख लीजिए न।... (**व्यवधान**)

**श्री रामेश्वर ठाकुर** : एनुअल टारगेट मैं दे रहा हूं। 1994-95 का एनुअल टारगेट 177.45 करोड़ है। अचीवमेंट 17.61 का है। वेज कम्पोनेंट जो है उसमें शैडयूल्ड कास्ट का 11.66 है और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का 39.65 है और शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों का मिलाकर 51.31 है। ...(**व्यवधान**)

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Sir, the hon. Minister is deviating...

...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAY SINGH: Sir, you are not pulling up the Minister. He is unnecessarily wasting the time of the House...

...(*Interruptions*)...

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Sir, I am giving the figures for the SCs, the STs and women. That is what the hon. Member has asked for...

...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Have you got the figures with you?

SHRI RAMESHWAR THAKUR: I have got the figures now, Sir... (Interruptions)... Sir, I have said that the figures for the SCs and the STs taken together come to 51.31 lakhs ..

...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Hon Minister, since they want only the employment figures—not the money, etc. —if you have those figures please give them...

...(Interruptions)...

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Sir, it is 15.36 lakhs for women and 51.31 lakhs for the SCs and the STs.

MR. CHAIRMAN: You please put your second supplementary now.

**श्री अनन्तराम जयशंकर दवे** : सभापति जी, मेरे सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया।

**श्री दिग्विजय सिंह** : आपका जवाब नहीं आया, सेंकड पूछ लीजिए, आप उस बात को छोड़ दीजिए।

**श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : एनुअल रिपोर्ट में यह बात नहीं कही गई है कि कितने लोगों को रोजगारी दी गई है और कितने दिनों के लिए दी गई है। इस कि कोई फिगर नहीं दी गई है। यह आपकी रिपोर्ट में भी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आप गलत जवाब दे रहे हैं।

मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी यह है कि इस योजना की मोनेटरिंग करने के लिए स्टेट लेवल की कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी में केन्द्र के भी प्रतिनिधि हैं जो इन मीटिंगों में जाते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि गुजरात में जो ऐसी कमेटी बनी है उसकी 1992-93 में कितनी मीटिंगें हुई और मेरा बी ओर सी पार्ट यह है कि इसमें कहा गया है कि ग्रामीण विकास के लिए जो पैसों की डिमांड की जाती है क्या इस बारे में कोई शिकायत आपके पास आई है? अगर आई है तो क्या आई है और आपने उन के ऊपर क्या ऐक्शन लिया है?

**श्री रामेश्वर ठाकुर** : पहला प्रश्न आपका था कि आंकड़े नहीं हैं। मैंने वही आंकड़े दिए हैं। जो राशि लगी है... (**व्यवधान**)...और एस.सी. एस.टी. और वूमेन के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगारों का प्रावधान जो किया गया है, उसके आंकड़े हैं। आप अगर उनको अलग से सूचना चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। मैंने बताया कि जवाहर रोजगार योजना का पहला हिस्सा जो राज्यों को देते हैं तो उसको प्रथम किश्त और सेंकड किश्त का अंतरिम पार्ट गुजरात राज्य को दिया गया है। राज्य सरकार को स्वयं इस बात को तय करना है कि 80 प्रतिशत जो उनको जवाहर योजना के अन्तर्गत मिला है, उसमें पंचायत स्तर पर सड़कें और क्या-क्या बनायेंगे?

**श्री अनन्तराव देवशंकर दवे** : मैंने पूछा... (**व्यवधान**)...वहां कोआर्डिनेशन कमेटी जो बनी हुई है... (**व्यवधान**)

**श्री रामेश्वर ठाकुर** : जहां तक जवाहर योजना का सवाल है, जिन राज्यों से जो मांग आती है, हम पहले सालाना राशि अलाट करते हैं और उसके मुताबिक राशि देते हैं।

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, the question is not that. The question is how many times meetings of the Committee have taken place. If you have the answer, give it; otherwise, promise to give the answer later.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Sir, the question has been addressed to the Prime Minister. He can also answer.

**श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : दूसरी बार सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। जवाहर योजना के लिए हर स्टेट में कोआर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। उनमें यहां, दिल्ली से

आपके प्रतिनिधि जाते हैं। मॉनेटारिंग करने के लिए कमेटी बैठती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यह कमेटी 1993-94 में कितनी बार मिली और उन्होंने ग्रामीण विस्तार के रास्ते के लिए क्या डिसीशन लिए? अगर आपने वहां भेजा है और यदि यह बात सच है तो आप हां कहिए और कितनी बार मीटिंगें हुई यह बता दीजिए।

श्री रामेश्वर ठाकुर: हर राज्य में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी राज्य स्तर पर है उनकी बैठकें साल में अनुमानतः एक या दो बार होती है।

श्री अनंतराय वेदाकर (धर्वे): मैं पूछ रहा हूं कि कितनी बार हुई?... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर ठाकुर: पहले मेरी बात सुन लीजिए। ... (व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, how many times the meetings have been held. If you don't have the figure, please give it later. ...(Interruptions)...

THE PRIME MINISTER (SHRI P V. NARASIMHA RAO): Sir, I would like to clarify that in most of these cases, we don't have the figures which are available at the Panchayat level or at the State level. The figures are not available. There is no need to go into so much of detail. The figures will be made available to the hon. Member. That is all. ...(Interruptions)...

SHRI VIREN J. SHAH: Sir, the Minister must know whether meetings in Gujarat were held. If so, how many times in the last three years and what are the records? This is a straight forward question. What is the difficulty in answering that?

MR. CHAIRMAN: The difficulty is that the figures are not available. How many times...(Isterruptions). The information collected will be given to him.

SHRI VIREN J. SHAH: Sir, the figures which are not available, as the honourable Minister mentioned, are about the Panchayat, etc. But about Coordination Committee meetings, which will be held once, twice or thrice a year where the Central Government representatives goes, the hon. Minister does not know about that also. Then, we will leave it to you to decide as to how function.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Sir, for this part of the question, as I have already said, the information is not readily available. Each State is having its own meetings. Our representative, if invited, will participate. In addition to that our Area Officers would visit the States. We have reports of different States by our officers, particularly about Gujarat. A notice is required but in any case, I will give the information to the honourable Member. There is no problem.

MR. CHAIRMAN: Shri Janeshwar Misra.

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, सवाल तो गुजरात के बारे में पूछा गया है लेकिन जिस तरह से मंत्री जी जवाब दे रहे थे कि 9 हजार करोड़ से ऊपर रकम इस मद में खर्च हो रही है, इससे लगता है कि देश भर के बारे में जवाब दे रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले माननीय रामेश्वर ठाकुर जी का एक बयान छपा था कि जिन राज्यों में पंचायतों के चुनाव समय से नहीं होंगे, वहां इस तरह की योजनाओं में दी जाने वाली रकम केन्द्र सरकार खत्म कर देगी या उसे बन्द कर देगी। इन्होंने अपनी निजी हैसियत से यह बयान दिया था या भारत सरकार की तरफ से यह बयान दिया था? मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि राज्यों में गांवों के विकास के लिए जो राशि दी जाती है क्या यह खैरात के रूप में दी जाती है या कभी-कभी राज्य सरकारों से कोई काम करवाने के लिए धमकी के रूप में दी जाती है? इसका स्पष्टीकरण केन्द्रीय सरकार की तरफ से होना चाहिए।

**श्री रामेश्वरी ठाकुर :** सभापति महोदय, जो राशि जवाहर रोजगार योजना या किसी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के लिए दी जाती है, यह राशि वहां की ग्रामीण जनता के विकास के लिए है। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनको काम देने के लिए यह राशि है। कृपया इस पर विचार किया जाए। यह राशि पंचायतों के जरिये जवाहर रोजगार योजना में खर्च की जाती है। इस पर दोनों सदनों में संवैधानिक रूप से निर्णय करके 22 दिसम्बर, 1992 को इस राज्य सभा में कानून पास किया गया जिसकी सभी राज्यों द्वारा पुष्टि की गई है। राज्यों द्वारा पुष्टि के बाद 24 अप्रैल, 1993 को कानून पास हो गया जिसके मुताबिक राज्यों ने एक साल में अपने कानून बना लिये। 23 अप्रैल, 1994 तक सभी राज्यों ने अपने नये कानून पास किये हैं। इसी बीच में पंचायती राज मिनिस्टरों की एक बैठक हुई थी जिसमें सभी राज्यों के सचिव भी उपस्थित थे। इसका उद्घाटन स्वयं प्रधान मंत्री जी ने किया था। 3 अप्रैल, 1993 को यह सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया था कि जिन राज्यों में कानून बदल चुके हैं, उन राज्यों में 6 महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए। लेकिन कई राज्यों ने चुनाव कार्यवाही पूरी नहीं की। मैंने जो वक्तव्य दिया है उसमें हमने प्रेस के सामने इस बात का उल्लेख किया था। 22 अक्तूबर, 1994 को राष्ट्रीय पंचायती राज मंत्रियों की बैठक हुई थी जिसमें 11 राज्यों में 10 राज्यों के मंत्री उपस्थित थे। उस बैठक में सभी पार्टियों के माननीय मुख्य मंत्री थे; पश्चिमी बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक राष्ट्रीय पंचायत के जिन मंत्रियों की बैठक हुई उसमें दो बातों की सिफारिश की गई। पहले यह कहा गया कि राज्यों में पंचायतों के चुनाव करवाना लाजमी है। कानून का हवाला देने के बावजूद उन्होंने चुनाव नहीं करवाए हैं, इसलिए उनको राशि बन्द की जाए क्योंकि उनके पास चुनी हुई पंचायतें ही नहीं हैं जो इस योजना को कार्यान्वित करें। यदि पंचायत ही नहीं है तो यह राशि किस को दी जाए? यह प्रश्न आया है। दूसरा यह है कि उन्होंने कहा है कि उनको धारा 57 के अन्तर्गत आदेश दिया जाए कि अपने राज्यों में पंचायतों के चुनाव करवाएं। यदि निर्धारित समय पर चुनाव नहीं किये गये तो स्वभावतः उन राज्यों के लिए जो अन्य संवैधानिक तरीके हैं, वह केन्द्रीय सरकार अपनायेगी।

**श्री जनेश्वर मिश्र :** सफाई का सवाल है। दो राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायत के चुनाव हाईकोर्ट ने रोक दिए हैं—उत्तर प्रदेश और बिहार। ये उस समय के भीतर नहीं होंगे। अगर केन्द्र सरकार का यही बयान सार्वभौम रूप से सबके लिए लागू होगा तो दो राज्यों में विकास की यह रकम नहीं जा पाएगी गांवों के लिए अतः इसके बारे में मंत्री जी जवाब दें।

**श्री रामेश्वर ठाकुर :** दोनों राज्यों की स्थिति दूसरी है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने आज से दो महीने से अधिक पहले पंचायत के चुनाव की अधिसूचना जारी की थी और तदनुसार सूचित तिथि तय की गई लेकिन लगभग 250 मामले कोर्ट के अधीन थे। हमारे मंत्रालय में भी आए थे कि जो परिसीलन किया गया क्षेत्र का और जो आरक्षण की व्यवस्था की गई वह विधिवत नहीं है, कानून के अंतर्गत नहीं है। उसको चुनौती दी गई और जो हमारा उत्तराखंड क्षेत्र था वहां जो परिसीलन हुआ था वहां के लोगों को उस पर बड़ी आपत्ति थी। तदनुसार राज्य सरकार ने दो महीने के लिए स्थागित किया था। दो महीने के बाद भी जब ये चुनाव फिर लागू करने की बात हुई तो हाई कोर्ट में ये मुद्दे उठाये गए—जो उनके विचाराधीन थे और हाई कोर्ट ने अभी फिर से स्थगित किया है। जो मामले हाई कोर्ट के द्वारा स्थगित किए गए हैं वे दूसरी स्थिति के हैं, जिसमें राज्य सरकार ने पहल की, हमको अधिसूचना की, तिथि की घोषणा की, उसकी स्थिति दूसरी है—जिसमें पहल नहीं की। बिहार की स्थिति इससे भिन्न है।

**डा० बापू कालदाते :** स्थिति कुछ भी हो सरकार क्या करने जा रही है

तना बताइए । स्थिति अलग-अलग हो गई है, समझ गए, सरकार क्या कर रही है?

MR. CHAIRMAN: I think we are gong far outside the scope of the question. The question is specifically about Gujarat. If anybody asks any question is should be only about the Jawahar Rojgar Yojana.

**श्री चतुरानन मिश्र** : सभा पति महोदय, पहला निवेदन मेरा मंत्री महोदय से होगा कि जितना हम लोग पूछें उसी का जवाब दीजिये । आपके खजाने में बहुत बातें हैं सबको न कहिये । आंकड़े वगैरह भी ठीक है, करोड़ वगैरह जो कहते हैं वह ठीक है । हमारा एक सिम्पल क्वेश्चन है कि यह जो रोड गुजरात में बना है या दूसरे राज्यों में उसके मेन्टिनेंस का कोई इंतजाम नहीं रहने के चलते दूसरी बरसात आते-आते जो भी हम लोग बनाते रहते हैं वह--

"त्वमवे बाल गोविन्द तुम्यमेव.... समर्पितम"

आप ही के पास फिर चला जाता है । इसीलिये क्या उसके मेन्टिनेंस का भी प्रावधान करेंगे जो दूसरे क्या कोआर्डिनेशन होगा स्टेट से कि जब मेटलिंग करेंगे या कालीकरण करेंगे या पिच रोड बनायेंगे तब ऐसे रोड को प्राथमिकता देंगे नहीं तो हो क्या गया है कि एक-एक रास्ते से, दूसरा, दूसरे रास्ते से, एक दूसरे का समन्वय नहीं होता है । इसलिये यह सारा पैसा यानी इसका एक बड़ा हिस्सा बरबाद हो रहा है । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस नीतिगत प्रश्न का जबाव दें । संयोग से प्रधान मंत्री भी यहां हैं, रूरल डेवलपमेंट पर अब उनका ज्यादा ध्यान रहता है तो इस बात को सोचें और कुछ बतायें कि क्या है ।

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: I have not come across the example of a road which needs maintenance immediately after its construction or while it is being constructed. Sir, after the road is completed next year or at a particular period with a particular periodicity which is known to the State Government, the maintenance programme is taken up. This is my knowledge of the situation. The rest of the details he will give. I am quite sure that there must be some arrangement for maintenance also but not immediately at the time when it is being constructed.

The examples contained in the question are about the construction of the roads which is currently taking place. I am not talking of all roads. This is under the Jawahar Rozgar Yojana in this year as it is going on. They have been asking question about how many man-hours, women-hours etc. etc. That is the detail that is being given. So, the questios of maintenance, I submit to say, would not be relevant in regard to these roads.

SHRI CHATURANAN MISHRA: After the second rainy season, the roads are almost finished off. I did not say that you provided for the very first year. That was not my questions. My question was very simple that in the absence of any provision for maintenance, we are wasting this money to a great extent.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Sir, ten per cent of the Jawahar Rozgar Yojana funds provided to the districts and the panchayats could be utilised for maintenance and other related matters of all assets, including roads.

SHRI CHATURANAN MISHRA: What percentage?

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Ten per cent.

MR. CHAIRMAN: Shri S. S. Bhandari. (Interruptions)

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Sir, this is the question about Gujarat. From Gujarat only one Member has asked the question. (Interruptions)

**श्री सुन्दर सिंह भंडारी** : सभापति जी, मुझे मंत्री महोदय से यह पुछना है कि यहः इस सवाल में फंडस की कमी का उल्लेख है और उसमें यह पुछा गया है कि क्या किसी एजेंसी से आवश्यक फंड इस मामले में इकट्ठा करना चाहते हैं या नहीं ? यह सवाल इसमें से उठा है कि जिन लोगों को आप पैसा देते हैं वहां पर उन्होंने रोजगार की कितनी आवश्यकता बतायी है आपने उसके अनुपात में पैसा दिया या नहीं दिया, इसका कहीं हिसाब होता है या आप अपनी मर्जी से जिस पंचायत को जितना देना चाहें कम या ज्यादा दे देते हैं? उस पर कोई नियंत्रण नहीं है और मनमाने तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल होता है । इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि इस चीज की मानीटरिंग कहां हैं कि "मैन-अवर्स" या "मैन-डेज" उस गांव या उस स्टेट में कितने हैं और उसके लिये किसी व्यवस्था करनी है ? जवाहर रोजगार योजना में उसका कितना परसेंटेज कवर होगा और आपने उसी अनुसार वहां पैसा भिजवाने की व्यवस्था की है या नहीं ? इसकी कहीं पर आपके पास मानीटरिंग है या सारा फंड डिस्क्रीशनरी है और आपकी नजरे-इनायत जहां हो जाय वहा लूटकर ले जायें और जहां नजरे-इनायत न हो, वहा की पंचायतें भूखों मरें, ऐसी स्थिति है ?

**श्री रामेश्वर ठाकुर** : नहीं, यह बात नहीं है । माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि हर साल हर राज्य के लिये वहां की आबादी और दूसरे उसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मद्देनजर रखकर राशि का प्रावधान किया जाता है । उस राशि में से हर जिले को, वहां जिले में जो गांव की पापुलेशन है, खासतौर से एस०सी०/एस०टी० की जो पापुलेशन है, उसको भी मद्देनजर रखते हुये और इनवर्स आफ द एग्रीकल्चर में काम करने वाले खेतिहर मजदूर के लिये जो फार्मूला है, उसके मुताबिक हर राज्य और जिले के लिये राशि अलाट की जाती है । फिर जिले में रुपया जाने के बाद उसमें कोई भेदभाव नहीं है । उसमें 80 प्रतिशत राशि सीधे हर प्रखंड को एक हफ्ते के अन्दर और नई गाइड-लाइंस के मुताबिक अब उनको बैंक ड्राफ्ट में पंचायत को भेज देना है । केवल 20 प्रतिशत राशि वह डी०आर०डी०ए० में जिला स्तर पर रखते हैं क्योंकि मैंने बताया कहे एक दूसरे से पंचायत से जुड़ने वाले राज्य के लिये एक दूसरे प्रखंड से जुड़ने वाले काम में आती है । इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है । पंचायत में चुनने के बाद पंचायत के लोग, ग्राम सभा के लोग तय करते हैं कि उस ग्राम सभा में क्या-क्या काम हमें लेना है और उस काम को हम कैसे निपटायेंगे । सरकार द्वारा इसमें तकनीकी और प्रशासकीय सहायता दी जाती है ।

MR. CHAIRMAN: Thank you. You have answered the question. Shri Chimanbhai Mehta.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Thank you, Sir. It is restored back to Gujarat.

सर, बात ऐसी है कि प्रश्न के भाग (ख) में पूछा गया है कि आप वर्ल्ड बैंक से रुरल एरियाज के लिये कुछ लोन लेने की सोच रहे हैं या नहीं ? जवाब दिया गया है, "नो सर" । सर, इतना काफी नहीं लगता है, इसलिये मैं पूछ रहा हूं कि जब भूतल परिवहन मंत्री श्री टाइटलर साहब ने कहा था कि हम प्राइवेटायजेशन करने जा रहे हैं और प्राइवेट कैपिटल को भी इनवाइट कर रहे हैं रोड बनाने में . . . तो हिन्दुस्तान का काफी हिस्सा तो रुरल है, तो उसमें अगर सरकार के पास पैसे कम हों और वर्ल्ड बैंक से वह लेना न चाहे तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट कर सकते हैं या नहीं और वर्ल्ड से असिस्टेंस क्यों नहीं मांग रहे हैं, वह भी मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं और काम बहुत बाकी है?

**श्री रामेश्वर ठाकुर** : जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, गुजरात में गुजरात रूरल रोडस प्रोजेक्टस विश्व बैंक ने 1987 में मंजूरी दी थी । सामान्य तौर से 222 करोड़ का प्रावधान किया गया था । उस पर काम काफी हद तक हो चुका है और उसके बाद का

को जो क्षेत्र के करीब 4 हजार 2 सौ किलोमीटर की बात थी उसको बढ़ाकर अब 6,300 किलोमीटर किया गया है और इसमें से 4,566 किलोमीटर काम पूरा हो चुका है।

MR. CHAIRMAN: The question is: Why have you not asked for World Bank aid? Is it needed? Just answer that question.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: It has been sanctioned. The work is going on. The remaining work would be completed in about one-and-a-half years, Sir.

MR. CHAIRMAN: The question is: Why are you not asking for World Bank aid? Do you not need it?

SHRI RAMESHWAR THAKUR: We do not require it. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Do you not require it?

SHRI RAMESHWAR THAKUR: No. The State Government had just asked for our comments. Since we were concerned with this, we had given our consent. We had given our consent long back. The work is going on. As far as the rural road projects are concerned, they are between the State Government and the World Bank. They are not with us. We are not monitoring them. But we are monitoring our projects very thoroughly and very effectively.

**ब्लाक वर्ष 1990–93 के लिए "अवकाश यात्रा रियायत" (एल० टी० सी०) सुविधा की अवधि को बढ़ाया जाना**

*24. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को चार वर्ष (1990–93) की ब्लाक अवधि के लिये भारत भ्रमण के लिये मिलने वाली "अवकाश यात्रा रियायत" सुविधा को दिसम्बर, 1994 तक बढ़ाया गया था ;

(ख) क्या वर्ष 1994 में देश में प्लेग महामारी के फैलने के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ उठाने में आई कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुये इस अवधि को बढ़ाये जाने के संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) क्या सरकार इसकी विधिमान्य अवधि को बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) :** (क) केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 के प्रावधानों के तहत यह प्रावधान है कि वह सरकारी कर्मचारी जो दो वर्ष अथवा चार वर्ष के ब्लाक विशेष के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा का उपयोग नहीं करता है, वह ऐसी सुविधा का लाभ दो वर्ष अथवा चार वर्ष के अगले ब्लाक के प्रथम वर्ष में उठा सकता है। अतः ब्लाक वर्ष 1990–93 के संबंध में छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा का उपयोग वर्ष 1994 के अन्त तक किया जा सकता है।

(ख) तथा (ग) छुट्टी यात्रा रियायत ब्लाक वर्ष 1990–93 को दिसम्बर, 1994 के बाद बढ़ाए जाने के संबंध में कुछेक अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे। तथापि, विभागों के पास उपलब्ध एक वर्ष की बढ़ाई हुई अवधि के प्रावधान को तथा इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि प्लेग का भय केवल कुछेक खास क्षेत्रों में ही था और इस प्रकोप पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया था, इस मामले अवधि को और आगे बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

**श्री कैलाश नारायण सारंग :** सभापति महोदय, केन्द्रीय कर्मचारी हमारे देश